न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 31/2015 (225 आरटीए) सुरताराम वगै. बनारम कंवरराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2015/00048)

1 सुरताराम पुत्र श्री पांचाराम,
2 पूनमाराम पुत्र श्री पांचाराम,
3 मुलतानराम पुत्र श्री मंगलाराम,
4 जगमालराम पुत्र श्री धूड़ाराम,
5 श्रीमती मंगली पत्नी केशराराम,
6 सुजाना पुत्र जसवंताराम

सभी जातियान विश्नोई, निवासीगण ग्राम उग्रास, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

..... अपीलांट्स

बनाम

1 कंवरूराम पुत्र श्री फगलूराम,
2 मुलतानराम पुत्र फगलूराम

सभी जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम उग्रास, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

3 जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा सांवरीज,
4 दी बैंक ऑफ़ राजस्थान (विलय आईसीआईसीआई बैंक ब्रांच फलोदी) शाखा फलोदी।
5 तहसीलदार फलोदी।

..... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी फलोदी
दिनांक 22.04.2015 राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 156/2012

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार।
2 रेस्पो. सं. 1 से 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल विश्नाई।

30/4
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

3 रेस्पोडेंट संख्या 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी। रेस्पो. सं. 3 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 30.04.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी फलोदी के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 156/2012 में पारित आदेश दिनांक 22.04.2015 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पो. सं. 1 व 2 की ओर से राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 156/2012 पेश किया गया। जिसमें ग्राम उग्रास तहसील फलोदी के खसरा नं. 185/11 रकबा 35 बीघा 06 बिस्वा एवं खसरा नं. 185/6 रकबा 105 बीघा के लिए रास्ते की मांग अप्रार्थीगण के खसरा नं. 178 रकबा 255 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 179 रकबा 109 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नं. 180 रकबा 71 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 180/1 रकबा 71 बीघा 08 बिस्वा में से की गई। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थीगण की ओर से जबाब प्रस्तुत हुआ एवं मौका रिपोर्ट मंगाई गई तदुपरांत अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो. सं. 1 व 2 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया।

   अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.04.2015 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि रेस्पो. सं. 1 व 2 द्वारा उनके ग्राम उग्रास तहसील फलोदी के खसरा नं. 185/11 रकबा 35

3014
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बीघा 06 बिस्वा एवं खसरा नं.185/6 रकबा 105 बीघा के लिए रास्ते की मांग अप्रार्थीगण के खसरा नं. 178 रकबा 255 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 179 रकबा 109 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नं. 180 रकबा 71 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 180/1 रकबा 71 बीघा 08 बिस्वा में से प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार मांग की गई। अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जबाब प्रस्तुत किया गया कि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। खसरा नं. 185 काफी बड़ा है जिसके बटा नं. तो हो गए हैं लेकिन नक्शे में तरमीम नहीं हैं। मौका रिपोर्ट मंगवाई गई वह पूर्ण रूपेण एकतरफा है। खसरा नं. 185 के दक्षिणी पूर्वी कोने के पास में डामर की सड़क स्थित है जिससे खसरा नं. 182 में होते हुए खसरा नं. 185 तक आराम से रेस्पोडेट्स आवागमन कर रहे हैं। इस प्रकार वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे के अनुसार ही बिना किसी जांच के रास्ता देने का आदेश पारित कर दिया। काफी ज्यादा रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा में रास्ता दिए जाने के आदेश पारित कर दिए हैं। अतः अपीलाधीन आदेश विधि विरुद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। तदनुसार अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 1 से 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल विश्नाई ने बहस में कथन किया कि इस प्रकरण में दो मौका रिपोर्ट मंगाई गई हैं। एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय ने मंगाई थी व दूसरी रिपोर्ट इस न्यायालय द्वारा भी मंगाई है। इन दोनों रिपोटों के अनुसार वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने सबसे नजदीकी रास्ता प्रदान किया है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने विधि अनुसार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की गुंजाइस नहीं हैं। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पोडेंट संख्या 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि इस प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं हैं। अतः इस न्यायालय से उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 इस प्रकरण में दो मौका रिपोर्ट मंगाई जा चुकी हैं। प्रथम मोका रिपोर्ट

30/7/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मंगाई गई जिसमें खसरा नं. 178, 179, 180, 181/1 में से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया है। जबकि दूसरी मौका रिपोर्ट जो इस न्यायालय द्वारा मंगाई गई है उसमें खसरा नं. 185 के दक्षिण दिशा में स्थित खसरा नं.182, 183, 184/1 के माठ से होकर व उसमें 25 जरीब ही मार्ग दिया जाना प्रस्तावित किया है। इस मार्ग में खसरा नं. 182 राजकीय होने से 13 जरीब रास्ता राजकीय भूमि से एवं 12 जरीब रास्ता खसरा नं. 183 व 184/1 में से प्रस्तावित किया है।

9 इस प्रकरण में दोनों रिपोर्ट तहसीलदार फलोदी की ओर से पेश की गई हैं लेकिन ये दोनों रिपोर्ट उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तैयार होना प्रतीत नहीं होता है। दोनों ही रिपोर्ट विरोधाभाषी हैं एवं रिपोर्ट तैयार करते समय उभयपक्षकारान उपस्थित नहीं हैं। अतः अधीनस्थ न्यायायलय का अपीलाधीन आदेश रिमाण्ड करने योग्य पाया जाता है।

10 अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.04.2015 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षकारान की उपस्थिति में धारा 251ए एवं उससे संबधित बनाए गए नियमों के परिपेक्ष्य में स्वयं मौके का निरीक्षण कर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करें।

30/4/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 30.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/4/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर